/6903/2022

/6903/2022

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक, उत्तराखण्ड, देहरादून

वनादेश सं0 22 /1-12 देहरादून दिनांक, 21 सितम्बर, 2022

पदोन्नति/तैनाती

इस कार्यालय के पत्रांक 708/1–12(29) दिनांक 13–09–2022 द्वारा वैयक्तिक सहायक संवर्ग में पदोन्नति हेतु पदोन्नति समिति का गठन किया गया था। पदोन्नति समिति की दिनांक 20–09–2022 को बैठक आयोजित की गयी। पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित **वैयक्तिक सहायक वेतनमान 29200–92300 लेविल–5 के कार्मिकों को वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक वेतनमान 35400–112400 लेविल–6 पद के पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत** कर उनकी तैनाती उनके नाम के सम्मुख कॉलम–4 में अंकित कार्यालय में जनहित में की जाती है :–

क्र0 सं0	वैयक्तिक सहायक का नाम	वर्तमान कार्यालय जिसमें कार्यरत हैं	पदोन्नति के उपरान्त तैनाती का कार्यालय
1	2	3	4
1	श्री मनोज कुमार	प्र0व0, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल	प्र0व0, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल
2	श्री गिरीश चन्द्र जोशी	प्र0व0, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी	मुख्य वन संरक्षक, वनाग्नि एवं आपदा प्रबंधन, देहरादून
3	श्री कमलवीर सिंह यादव	प्र0व0, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर	प्र0व0, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

1. पदोन्नत कार्मिक द्वारा यदि पदोन्नति का परित्याग किया जाता है तो कार्मिक के विरुद्ध उत्तराखण्ड राज्यधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo) नियमावली, 2020 के तहत कार्यवाही की जायेगी ।

2. . संबंधित कर्मचारी **आदेश निर्गत होने की तिथि से 02 सप्ताह के अन्तर्गत** अपनी पदोन्नति पद पर योगदान देना सुनिश्चित करें, यदि निर्धारित तिथि तक पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान नही दिया जाता है तो संबंधित कर्मचारी का **पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा** ।

3. कार्मिक की पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान अथवा पदोन्नति स्वीकार न करने संबंधी सूचना इस कार्यालय को **कार्मिक के अवमुक्त/योगदान के तत्काल पश्चात अनिवार्य रुप से उपलब्ध करा दी जाये।**

4. नियंत्रक अधिकारी संबंधित कार्मिकों को समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें यदि कार्मिक द्वारा पदोन्नति स्वीकार नही की जा रही हो तो कार्मिक से लिखित रुप में इस आशय का पत्र प्राप्त कर तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करें।

5. स्थानान्तरण की स्थिति में जिस कार्यालय में योगदान दिया जाना है में नियंत्रक अधिकारी तभी योगदान स्वीकृत करें जब संबंधित कार्यालय से कार्यमुक्ति हेतु आदेश जारी किया गया हो।

I.F.G.C 21/9

Signed by Manoj Chandran
Date: 21-09-2022 15:16:55

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक

वनादेश सं0 1/6903/2022(1)/ तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. आदेश में अंकित समस्त कार्यालय।
2. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. संबंधित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
4. मु0व0सं0, अनुश्रवण, मूल्यांकन आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण, देहरादून, को विभागीय वेबसाईट में अपलोड हेतु।
5. अधिष्ठान/गार्ड बुक।

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक

Generated from eOffice by KULDEEP SINGH RAWAT, Kulddep_Singh_Rawat_SAO, SENIOR ADMINISTRATIVE OFFICER, FOREST DEPT on 21/09/2022 03:37 pm